न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्थरगढ़ी प्र.न. - 28/2025

17.10.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण मे बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 27.10.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

27.10.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1965 रकबा 1.53 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर खातेदारी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण उसी हिस्सेनुसार काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.04.2025 को पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा विधिवत तरीके से करवाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 50 उक्त प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोल, तारबन्दी व सीमाचिन्ह को नष्ट कर अतिक्रमण करने पर उतारू रहते है। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से [illegible] रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिस कारण सीमाज्ञान [illegible] करवाये जाने का निवेदन अपनी रिपोर्ट में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने अवगत कराया कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने गलत रूप से बाला बाला एक पक्षीय करवाई गई सीमाज्ञान दिनांकित 26.04.2025 के आधार पर प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का न्यायालय के समक्ष पेश

उपखण्ड अधिकारी

फूलचन्द बनाम भूमिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्थरगढ़ी प्र.नं. 28/2025

किया है। प्रार्थी ने भी अपनी भूमियों का सीमाज्ञान करवाने हेतु दिनांक 31.05.2025 को तहसील कार्यालय में आवेदन पेश किया है। जिसकी प्रक्रिया बरसात हो जाने व फसल काश्त हो जाने के कारण प्रक्रियाधीन होकर रूकी हुई है। जिस कारण पत्थरगढ़ी नहीं किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 6 भूमि खसरा नम्बर 1553, 1964 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा के हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार होकर अपनी भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण पत्थरगढी में गलत व अनुचित आदेश पारित करवाकर अप्रार्थी संख्या 6 को उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है व बलात कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र पत्थरगढी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांकित 26.04.2025 की फोटोप्रति, जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर एंव प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1965 रकबा 1.53 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्डेड है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का नाथूसर के द्वारा दिनांक 26.04.2025 को किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 50 तक उक्त भूमि के सीवंजोड पडौसी खातेदार काश्तकार है। जिनमें अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 व 7 से 50 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री फूलचन्द सागोता एड0 ने उपस्थित होकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1553, 1964 कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 हैक्टर तन्

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

पूरणमल बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्थरगढ़ी प्रकरण - 74/2025
27/1	ग्राम रतनपुरा के हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार होकर भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त होना तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण पत्थरगढ़ी में गलत व अनुचित आदेश पारित करवाकर अप्रार्थी संख्या 6 को उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर बलात कब्जा करने की मंशा जताई गई है तथा अप्रार्थी संख्या 6 की भूमि का सीमाज्ञान हो जाने के उपरान्त दोनों भूमियों में एक साथ ही पत्थरगढी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2025 को तहसील कार्यालय में पेश किया जाना है, उक्त आवेदन पत्र की प्रकिया बरसात हो जाने व फसल काश्त हो जाने के कारण प्रकियाधीन होकर अभी रूकी होना प्रकट होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का अप्रार्थी संख्या 6 के तहसील कार्यालय में पेश किये गये सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र की आड़ में उसका सीमाज्ञान नहीं होने तक प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्थरगढी की कार्यवाही को रोका जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 6 अपनी भूमियों का विधिवत सीमाज्ञान करवाने एंव सीमाज्ञान के उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाये जाने हेतु नियमों में इस बाबत पृथक से व्यवस्था होने से अप्रार्थी ... अपनी भूमि के सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी ... प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
...(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested

पूरनमल बनाम सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्थरगढ़ी 27.10.2025	

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा दिनांक 26.04.2025 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1965 रकबा 1.53 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार मण्डल नाथूसर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का नाथूसर द्वारा दिनांक 26.04.2025 को करवाये गए सीमाज्ञान के अनुसार अप्रार्थीगण को विधिवत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पत्थरगढ़ी की कार्यवाही वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। अप्रार्थी संख्या 6 नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने के लिए सीमाज्ञान हेतु पृथक से नियमों में व्यवस्था होने से सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)